भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 822

26 जून, 2019 को उत्तर के लिए

किसानों को खनन पट्टा

822. श्री हनुमान बैनिवालः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास एक नई खनन नीति के द्वारा किसानों को छोटे पट्टे पर भूमि देने का प्रावधन करने हेतु कोई कार्ययोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास राजस्थान में खनन उद्योग को बढ़ावा देने या खनन उद्योग की स्थापना करने हेतु कोई कार्ययोजना या नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) एवं (ख) : नई खनन नीति लाकर किसानों को उनकी भूमि पर छोटे पट्टे देने का प्रावधान करने हेतु सरकार की कोई योजना नहीं है। खनिज (आण्विक एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 12(5) में प्रावधान है कि खनन पट्टों के अनुदान के लिए न्यूनतम क्षेत्र पांच हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए। प्रमुख खनिजों के लिए, पांच (5) हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टों की स्वीकृति या तो नीलामी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए आरक्षण द्वारा दी जा सकती है। गौण खनिजों के लिए, संबंधित राज्य सरकारों से खनिज रियायतों के अनुदान के लिए नियम बनाना अपेक्षित है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे खनिज रियायतों के अनुदान के लिए पारदर्शी एवं विवेकाधिकार रहित प्रणाली अपनाए।

(ग) एवं (घ) : खान मंत्रालय द्वारा तैयार, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में प्रमुख खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने और खनिज क्षेत्र में व्यापार घाटे को कम करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, खनिज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, खनिज नीति का उद्देश्य विभिन्न उपायों से निजी निवेश को आकर्षित करना है।

*****